

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या-

726/XXVII(6)-454-2008/2013.

PA

5. Postal n.
upload ncalon

2
11/11/13

सेवा में,

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालय।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-6

देहरादून: दिनांक: 11 नवम्बर, 2013

विषय:- वित्त सेवा संघ के अधिकारियों के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड वित्त अधिकारी सेवा संघ का वार्षिक अधिवेशन दिनांक 13-11-2013 को आहूत किया जा रहा है। अधिवेशन में वित्त अधिकारी सेवा संघ द्वारा भाग लिया जाना है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है। शासन द्वारा उल्लिखित तिथि को प्रस्तावित अधिवेशन में प्रतिभाग लेने वाले वित्त अधिकारियों को इस हेतु एम.जी.ओ. के नियम 1082 के अधिनियम 142 के उपनियम-V के तहत विशेष आकस्मिक अवकाश एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है।

भवदीय,

Shri
(भास्करानन्द)
सचिव।

संख्या-

726(1)/XXVII(6)-454-2008/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रान्तीय अध्यक्ष, उत्तराखण्ड वित्त अधिकारी सेवा संघ।

आज्ञा से,

Shri
(गरिमा रौकली)
उप-सचिव।